प्रारंभिक प्रसंविदे

कंपनी के प्रवर्तन के समय प्रवर्तक कंपनी की ओर से बाहर के लोगों से कुछ प्रंसविदा कर सकते हैं। इन्हें प्रारंभिक प्रसंविदे अथवा समामेलन पूर्व प्रसंविदे कहते है। वैधानिक रूप से कंपनी इनसे बाध्य नही होती है। कंपनी के अस्तित्व में आने के पश्चात यदि कंपनी चाहे तो प्रवर्तकों के द्वारा किये गये प्रसंविदों को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्ही शर्तों पर नये प्रंसविदे कर सकती है। याद रहे कि कंपनी प्रारंभिक प्रंसविदे को नहीं कर सकती इस प्रकार से कंपनी को प्रारंभिक प्रसंविदो को पुरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रवर्तक इन प्रसंविदों के लिए दूसरे लोगों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं।

सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात् मान्यता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से वे प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है, जिसका उन्हें दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। वे, यदि लाभ कमाते हैं, तो उन्हें इसे उजागर करना चाहिए एवं गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी प्रसंविदों को रद्द कर सकती हैं एवं प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय मूल्य को वसूल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है तो कंपनी क्षति पूर्ति का दावा कर सकती है।

प्रवर्तक कंपनी के प्रर्वतन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। वैसे कंपनी चाहे तो समामेलन से पूर्व किए गए व्ययों का भुगतान कर सकती है। कंपनी प्रवर्तकों के माध्यम से क्रय की गई संपत्ति की क्रय राशि अथवा अशों की बिक्री पर उनकी सेवाओं के बदले एक-मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। कंपनी उन्हें अंशों अथवा ऋण पत्रों का आबंटन कर सकती है या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा दे सकती है।

7.2.2 समामेलन

उपर्युक्त औपचारिकताओं के पूरा कर लेने के पश्चात् प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र तैयार करते हैं। इस आवेदन पत्र को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा, इस आवेदन पत्र के साथ कुछ अन्य प्रलेख भी जमा कराए जायेंगे जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इनका संक्षेप में दोबारा से नीचे वर्णन किया गया है।

(क) कंपनी के संस्थापन प्रलेख- जिन पर आवश्यक मोहर लगी होती है एवं हस्ताक्षर किए होते हैं एवं गवाही की होती है। यदि यह सार्वजनिक कंपनी है तो इस पर कम से कम सात सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कंपनी निजी है तो दो सदस्यों के हस्ताक्षर ही पर्याप्त हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए अपने घर का पता, रोजगार एवं उनके द्वारा क्रय किए गए अशों की जानकारी देना आवश्यक है।